

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 29.12.2020

::आदेशः

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	सतीश कुमार पाराशर	30.05.1961	31.05.2021
2.	लोकेश कुमार तिवाड़ी	01.07.1961	30.06.2021
3.	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	10.07.1961	31.07.2021
4.	अनिल कुमार गुप्ता(द्वितीय)	25.01.1962	31.01.2022
5.	सांवरमल पारीक	15.10.1961	31.10.2021
6.	सुरेश कुमार गुप्ता	15.07.1961	31.07.2021

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	हरिकृष्ण टूटेजा	06.10.1961	31.10.2021
2.	केदारनाथ	10.04.1961	30.04.2021

उप विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	मानसिंह चौहान	14.01.1962	31.01.2022
2.	महेन्द्र कुमार	21.03.1962	31.03.2022
3.	दीन दयाल वर्मा	22.07.1961	31.07.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

(संयुक्त शासन सचिव)